E-mail: coeoffice@csjmu.ac.in
☎: 0512-2246609
☎: 0512-2246608

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

सन्दर्भ संo: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./1137/2026 दिनांक : 21/08/2026

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

1. **प्राचार्य/प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. **निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी,**
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषयः रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के निर्देश के क्रम में सत्र 2025–26 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण दिव्यांग एवं निराश्रित छात्राओं (जिनके माता–पिता में से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु हो गयी हो तथा उनके परिवार में भरण पोषण करने हेतु कोई सदस्य न हो) तथा सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना व वायु सेना) व अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुए कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों छात्राओं की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिक्षा निदेशक (उ0शि0), उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री कम्प्यूटर/561/2026–27 दिनांक 20.08.2026 के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के निर्देश के क्रम में सत्र 2025–26 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण दिव्यांग एवं निराश्रित छात्राओं (जिनके माता–पिता में से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु हो गयी हो तथा उनके परिवार में भरण पोषण करने हेतु कोई सदस्य न हो) तथा सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना व वायु सेना) व अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुए कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों छात्राओं की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में समस्त स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 05 प्रतिशत छात्रायें, जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हों, योजना से आच्छादित होंगी। इसके अतिरिक्त सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट से 10 प्रतिशत कम अंकों वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्रायें तथा दिव्यांग छात्रायें एवं निराश्रित छात्रायें इस योजना के लिए अर्ह मानी जायेंगी।

अतः आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त विभागों के निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या से अनुरोध कि अपने विभाग/संस्थान/महाविद्यालय के स्कूटी योजना हेतु पात्र छात्राओं (सूची संलग्न) के उपर्युक्त विवरण पूर्ण कराकर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र व प्रतिशत, निराश्रित छात्राओं के माता/पिता जो भी हो का मृत्य प्रमाण–पत्र तथा सशस्त्र सेनाओं एवं अर्द्धसैनिक बलों में शहीद हुए सैनिकों से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र व सत्र 2025–26 में स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण सम्बन्धी अभिलेखों की **पी0डी0एफ0** अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की ईमेल आईडी **coeoffice@csjmu.ac.in** पर दिनांक 22.08.2026 को सायं 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, जिससे रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु अग्रेतर कार्यवाही समयान्तर्गत की जा सके। उक्त योजना शासन की प्राथमिकता में है इसलिए किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा विलम्ब न किया जाए।

संलग्नकः– यथोपरि।

(राकेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रो0 नीरज कुमार सिंह, नोडल अधिकारी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वैय0 सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
4. पी0एम0यू0 सेल/प्रभारी, कोडिंग।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

Sl	College Name and Code	Total Number of Physical Handicapted Bonafied Female Students Details (दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत)	Total Number of Destitute (Nirashrit) Bonafied female Details	Total Number of थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना bonafied female students Details	APAAD ID

शासनादेश संख्या-64/2026/563/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/2/2025, दिनांक 19 अगस्त, 2026 का संलग्नक-1

शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की पात्रता का निर्धारण करते समय निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जायेगा :-

1. सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने विषयक सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 19 मार्च, 2018 में शहीद सैनिकों को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

परिभाषाएँ-

(क) शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य

सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त/कमीशण्ड आफीसर/सैनिक जो कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गोलाबारी, बैटल एक्सीडेन्ट, सीमा पर छुट-पुट/आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुए हैं।

अथवा

(ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर वर्णित घटनाओं के समय ऐसे लापता शहीद जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो।

(ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत वरीयता क्रम में

शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की पत्नी, विधवा पुत्रवधू, अविवाहित पुत्रियां, कानून संगत दत्तक पुत्रियाँ, माता आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक/मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित अविवाहित पौत्रियां आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी।

शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की माता, अविवाहित बहन आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-2 द्वारा निर्गत निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 में पात्र "दिव्यांगजन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।
3. निराश्रित छात्राओं से तात्पर्य ऐसी छात्राओं से होगा जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तथा परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो।

Digitally signed by
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 19-08-2026
18:04:33